



कार्यवाही रिपोर्ट

विषय :- दिनांक 03.08.2023 को माननीय डॉ० सतीश खोला, कोऑर्डिनेटर, हरियाणा पहचान पत्र प्राधिकरण की अध्यक्षता में नगरपरिषद, झज्जर, नगरपरिषद बहादुरगढ़ तथा नगरपालिका बेरी की प्रोपर्टी आई०डी० के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट ।

आज दिनांक 03.08.2023 को प्रातः 10: बजे नगरपरिषद, झज्जर में माननीय डॉ० सतीश खोला, कोऑर्डिनेटर, हरियाणा पहचान पत्र प्राधिकरण के द्वारा नगरपरिषद, झज्जर, बहादुरगढ़ तथा नगरपालिका, बेरी के अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोपर्टी आई०डी०/एन०डी०सी० पोर्टल पर प्राप्त हो रही आपत्तियों के निपटान से सम्बन्धित समीक्षा बैठक ली गई। जिसमें आज तक के निपटारे हुए, अस्वीकृत किए हुए तथा लम्बित प्रोपर्टी आई०डी० के पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई।

नगरपरिषदों/पालिका के आवेदनों का डाटा इस वित्तीय वर्ष का निम्न प्रकार से हैं :-

नगरपरिषद / पालिका का नाम	कुल प्रोपर्टी आई०डी०	पोर्टल पर प्राप्त आपत्तियां	कुल स्वीकृत आवेदनों की संख्या	कुल अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	लम्बित / Reverted आवेदनों की संख्या
बहादुरगढ़ ।	84,411	31,370	22,253	5,167	2,788
झज्जर ।	38,201	4,077	3,127	594	356
बेरी ।	5,416	1,257	957	224	42

नोट:- अस्वीकृत आवेदनों के बारे में नगरपरिषद/पालिका के अधिकारियों ने बताया कि इनमें से काफी आवेदनों का निपटान कार्यालयों में लगे कैम्पों तथा प्रार्थियों द्वारा दस्तावेज पूर्ण कर पुनः आवेदन करने उपरान्त हो चुका है परन्तु पोर्टल पर कितने अस्वीकृत आवेदनों का निपटान हो चुका है, इसके बारे में पोर्टल पर कोई विकल्प ना है।

अध्यक्ष महोदय ने अधिकारियों/कर्मचारियों से पोर्टल पर कार्य करने में आ रही दिक्कतों तथा उनके समाधान बारे विस्तारपूर्वक चर्चा की जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा हुई :-

1. मुख्यतः लाल डोरे के क्षेत्र में जिन व्यक्तियों के पास सेल डीड नहीं है, उनकी प्रोपर्टी आई०डी० में बदलाव पुराने रिकार्ड अनुसार कर दिया जावे।

2. जो सी0एफ0सी0 आमजन को तंग कर रहे हैं तथा सरकार को बदनाम कर रहे हैं व आमजन से पैसों की नाजायज डिमाण्ड कर रहे हैं, उनके नाम दिए जावे ताकि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकें।
3. जो वक्फ बोर्ड की सम्पतियां हैं, उनमें मालिक का नाम वक्फ बोर्ड ही रखा जावे। वक्फ बोर्ड का नवीनतम लीज आर्डर का निरीक्षण करके किरायेदार के कॉलम में उनका नाम दर्ज कर दिया जावे।
4. बैठक में सुझाव दिया गया कि निकाय कार्यालय में ही आपत्ति प्राप्त करने की सुविधा हो।
5. बैठक में सुझाव दिया गया कि जिन प्रोपर्टी आई0डी0 में नाम का कालम रिक्त है, वह सम्पत्तिधारक शपथ-पत्र व मालिकाना हक का प्रमाण देकर नाम दर्ज करवा सकता है।
6. अधिकारियों/कर्मचारियों ने बताया कि कई बार पोर्टल पर आवेदक के ड्यूज अपडेट करने के बाद भी वह बदले नहीं जाते, उसमें भी सुधार किया जावे।
7. माननीय अध्यक्ष महोदय ने अस्वीकृत आवेदनों का डाटा उपलब्ध करवाने बारे कहा गया, जिसे नगरपरिषद, झज्जर द्वारा झज्जर निकाय का उपलब्ध करवा दिया गया।

अध्यक्ष महोदय ने नगरपरिषद, झज्जर तथा नगरपालिका, बेरी का कार्य सन्तोषजनक बताया तथा सभी को आदेश दिए कि पोर्टल पर जो आवेदन अस्वीकृत हो चुके हैं अथवा आवेदक के स्तर पर लम्बित हैं, उन्हें तीनों नगरपरिषदों/पालिकाओं द्वारा अगले सप्ताह से नगरपरिषद कार्यालय में ही वार्डवाईज (4-4 वार्डों का) कैम्प लगाकर निपटान करें। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए सभी अस्वीकृत तथा लम्बित आवेदनों के आवेदकों को दूरभाष पर सूचना देकर /मुनादी करवा कर कार्यालय में बुलाकर उनके अगर दस्तावेज पूर्ण हैं तो उनके आवेदनों का निपटान करने बारे आदेश दिए गए।

समीक्षा बैठक के दौरान निम्नलिखित [अधिकारीगण/कर्मचारीगण](#) उपस्थित रहे

:-

1. श्री जिले सिंह, प्रधान, नगरपरिषद, झज्जर।
2. श्री प्रवीण गर्ग, उपप्रधान प्रतिनिधि, नगरपरिषद, झज्जर।
3. श्री कृष्ण कुमार यादव, कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद, झज्जर।
4. श्री संजय रोहिल्ला, कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद, बहादुरगढ़।
5. डॉ0 राकेश, भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा।
6. श्री मनदीप सिंह, परिषद अभियन्ता-I, नगरपरिषद, झज्जर
7. श्री नवीन देशवाल, परिषद अभियन्ता-II, नगरपरिषद, झज्जर।
8. परिषद अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, बेरी।
9. मेकर व चैकर, बहादुरगढ़/बेरी/झज्जर।

हस्ता/-
कार्यकारी अधिकारी,
नगरपरिषद, झज्जर।